रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062024-254631
CG-DL-E-10062024-254631

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2120] नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2024/ज्येष्ठ 20, 1946
No. 2120] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2024/JYAISHTHA 20, 1946

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2024

का.आ. 2222(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे; अर्थात्:-

(i) श्री दीपक गोविंदराव म्हैसेकर -अध्यक्ष;
फ्लैट सं.1204, भवन सं.98
सेक्टर आर-8, गेटवे टावर्स, अमनोरा पार्क
टाउन, हदसपर, पुणे-411028

(ii) श्री सुधाकर बाबूराव नांगनुरे -सदस्य;
अध्यक्ष राज्य स्तरीय निगरानी समिति
महाबलेश्वर पंचगनी, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र
सदस्य, मुंबई विरासत संरक्षण समिति

आई-703, रुतुरंग फेज-2, अरण्येश्वर रोड,

डोन सुजुकी के पीछे, पुणे-411009

(iii) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु -सदस्य -सचिव.

परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

4. प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य के लिए पैरा 6, 7 और 8 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण के सभी निर्णय एक बैठक में लिए जाएंगे और सामान्यतः सर्वसम्मति से होंगे:

परन्तु यदि निर्णय बहुमत से लिया जाता है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में विचारों का ब्यौरा स्पष्ट रूप से कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

6. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन से, महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से, महाराष्ट्र राज्य में उद्योग, खनन और सिंचाई से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए प्रथम राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम एसईएसी, महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री कमलाकर बी. फांद -अध्यक्ष;

1701, हरसिद्धि हाइट्स, वर्ली के पास कोलीवाड़ा,

मुंबई-400030

(ii) श्री कन्हैया मधुकर शाह -सदस्य;

6 लक्ष्मी प्रसाद अपार्टमेंट, 273, नवी पेठ, पुणे

411030

(iii) प्रो. एस.एन. पाटिल -सदस्य;

उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर,

अनुप्रयुक्त भूविज्ञान जलगांव विभाग,

पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान स्कूल,

कवयित्री बहिनबी चौधरी उत्तर महाराष्ट्र

विश्वविद्यालय पी.ओ.बॉक्स सं.80 उमावि नगर,

जलगांव-425001 (एम.एस.) भारत

(iv) प्रो. आर.जी. चिल्लावर -सदस्य;

यशवंत कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर,

नांदेड़ सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, यशवंत

महाविद्यालय वीआईपी रोड, बाबा-नगर नांदेड़ (एम,एस) भारत 431602

IndiaCode

(v) श्री मोकटिक ए बावासे -सदस्य;
रासायनिक इंजीनियर ऑटोमोटिव अनुसंधान
एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे
महाप्रबंधक
पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला (ईआरएल)
ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
(एआरएआई), सर्वेक्षण सं.-102, वेताल हिल, पौड रोड के विपरीत,
कोथरुड, पुणे – 411038

(vi) उप सचिव या वैज्ञानिक-I और उससे ऊपर, -सदस्य- सचिव.
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
महाराष्ट्र सरकार

7. केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजनार्थ, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र के लिए द्वितीय राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय एसईएसी, महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री सुधीर मणिक्राव खानपुरे -अध्यक्ष;
रुनवाल रीजेंसी, फ्लैट सं-701, ए-भवन, साधु
वासवानी चौक, परमार चैंबर के विपरीत, कैंप,
पुणे-411001

(ii) श्री रमेश बालकृष्ण बम्बले -सदस्य;
एमसीजीएम, ए1202, उमिया टॉवर, एमपी रोड के विपरीत,
मुलुंड ईस्ट, मुंबई-400081

(iii) डॉ. गणेश भीमराव रसाल -सदस्य;
मा. सं.30/1, 'आर' रेजीडेंसी, एफ-102, उत्कर्ष के पास
सोसायटी, कटराज, पुणे 46

(iv) डॉ. नितिन एम. लाभने -सदस्य;
प्रोफेसर एवं डीन (अनुसंधान और विकास),
वनस्पति विज्ञान विभाग, भवन्स कॉलेज
(मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध),
अंधेरी-डब्ल्यू, मुंबई-58

(v) उप सचिव या वैज्ञानिक-I और उससे ऊपर, -सदस्य- सचिव.
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
महाराष्ट्र सरकार

8. केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजनार्थ, मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र को छोड़कर, महाराष्ट्र राज्य में तीसरा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् तीसरा एसईएसी, महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात:—

IndiaCode

(i) श्री संजय एस. देशमुख, -अध्यक्ष;
बी-602, आरए रेजीडेंस, डॉ. बीए रोड
शरदा सिनेमा के विपरीत), दादर (पूर्व),
मुंबई-400014

(ii) श्री किरण वसंत आचरेकर -सदस्य;
फ्लैट सं.-1000, 10 वीं मंजिल, सुप्रालिना भवन,
11 वीं रोड, चेंबूर, मुंबई-400071

(iii) डॉ. असीम गोकर्ण हरवंश -सदस्य;
शहरी भूदृश्य-निर्माण विशेषज्ञ
1403/57, सीवुड्स एस्टेट, एनआरआई कॉम्प्लेक्स, फेज़ 2,
पाम बीच रोड, वाशी, नवी मुंबई-400703

(iv) उप सचिव या वैज्ञानिक-I और उससे ऊपर, -सदस्य -सचिव.
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग,
महाराष्ट्र सरकार

9. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

10. किसी भी प्रकार के हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, तथा समिति,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे, जिसका निर्णय प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, या जिसका मूल्यांकन उनके कार्यकाल के दौरान समिति द्वारा किया जाना है; और

(ii) यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पिछले पांच वर्षों में किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हों या पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन संचालित किया हो, तो वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से समिति की बैठकों से स्वयं को अलग रखेंगे।

11. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

12. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति तक पहुंचने में असफल रहते हैं तो बहुमत के विचार मान्य होंगे।

13. महाराष्ट्र राज्य सरकार प्राधिकरण और समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण विनिर्दिष्ट करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन अपने कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित वित्तीय और सभार-तंत्र सहायता प्रदान करेगा।

14. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का भुगतान महाराष्ट्र राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. आई. ए. 3-13/7/2023-आई. ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2024

S.O. 2222(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for the state of Maharashtra (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i) Shri Deepak Govindrao Mhaisekar -Chairman;
Flat No.1204, Building No.98
Sector R-8, Gateway Towers, Amanora Park
Town, Hadaspar, Pune-411028

(ii) Shri Sudhakar Baburao Nangnure -Member;
Chairman State Level Monitoring Committee
Mahabaleshwar Panchagani, Eco Sensitive
Region Member, Mumbai Heritage Conservation Committee
I-703, Ruturang Phase-2, Aranyeshwar Road,
Opposite Dhone Suzuki, Pune-411009

(iii) Principal Secretary, Environment and Climate -Member -Secretary.
Change Department, Government of Maharashtra

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraphs 6, 7 and 8 for the State of Maharashtra.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof shall be sent to the Central Government.

6. The Central Government in consultation with the State Government of Maharashtra, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the First State Expert Appraisal Committee for all the projects related to Industries, Mining and Irrigation in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the first SEAC, Maharashtra) comprising of the following persons, namely:-

(i) Shri Kamlakar B. Phand -Chairman;
1701, Harsiddhi Heights, Near Worli Koliwada,
Mumbai-400030

(ii) Shri Kanhaiya Madhukar Shah -Member;
6 Laxmi Prasad Apartment, 273, Navi Peth,
Pune 411030

(iii) Prof. S.N. Patil -Member;
Working Professor at North Maharashtra University,
Jalgaon Department of Applied Geology,
School of Environmental and Earth Sciences,
Kavayitri Bahinabi Chaudhari North Maharashtra
University P.O. Box No.80 Umavi Nagar,
Jalgaon-425001 (M.S.) India

(iv) Prof. R G Chillawar -Member;
Working Professor at Yashwant College, Nanded
Asst. Professor, Department of Botany, Yeshwant
Mahavidalaya VIP Road, Baba –Nagar Nanded (M,S) India 431602

(v) Shri Moqtik A Bawase -Member;
Chemical Engineer Automotive Research

Association of India, Pune
General Manager
Environment Research Lab (ERL)
The Automotive Research Association of India
(ARAI), Survey No-102, Vetal Hill, Off Paud Road,
Kothrud, Pune-411038

(vi) Deputy Secretary or Scientist –I and above, Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra -Member-Secretary.

7. The Central Government in consultation with the State Government of Maharashtra, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Second State Expert Appraisal Committee for Mumbai Metropolitan Region and Konkan Region in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as second SEAC, Maharashtra) comprising of the following persons, namely: —

(i) Shri Sudhir Manikrao Khanapure -Chairman;
Runwal Regency, Flat no-701, A-Building, Sadhu
Waswani Chowk, Opp. Parmar Chamber, Camp,
Pune-411001

(ii) Shri Ramesh Balkrishna Bambale -Member;
MCGM, A1202, Umiya Tower, Off M.P. Road,
Mulund East, Mumbai-400081

(iii) Dr. Ganesh Bhimrao Rasal -Member;
Ho. No.30/1, 'R' Residency, F-102, Near Utkarsh
Society, Katraj, Pune 46

(iv) Dr. Nitin M. Labhane -Member;
Professor and Dean (Research and Development),
Department of Botany, Bhavan's College
(Affiliated to University of Mumbai),
Andheri-W, Mumbai-58

(v) Deputy Secretary or Scientist –I and above, -Member-Secretary.
Environment and Climate Change Department,
Government of Maharashtra

8. The Central Government in consultation with the State Government of Maharashtra, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Third State Expert Appraisal Committee, except for Mumbai Metropolitan Region and Konkan Region, in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as third SEAC, Maharashtra) comprising of the following persons, namely:—

(i) Shri Sanjay S. Deshmukh, -Chairman;
B-602, R A residences, Dr. B.A. Road
(opp. Sharada Cinema), Dadar (E),
Mumbai-400014

(ii) Shri Kiran Vasant Acharekar -Member;
Flat no-1000, 10th Floor, Supralina Building,
11th Road, Chembur, Mumbai-400071

(iii) Dr. Aseem Gokarn Harwansh -Member;
Urban Landscaping Expert
1403/57, Seawoods Estate, NRI Complex, Phase 2,

IndiaCode

Palm Beach Rd, Vashi, Navi Mumbai-400703

(iv)	Deputy Secretary or Scientist –I and above, Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra	-Member - Secretary.

9. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

10. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

12. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the views of the majority shall prevail.

13. The State Government of Maharashtra shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee and the secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

14. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Maharashtra.

[F. No. IA3-13/7/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.06.10 18:49:37 +05'30'